# जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

क्रमांक : जो.वि.वि.नि.लि./प्र.नि./मु.अ.(मु.)/अ.अ.(आर.ए.–सी.)/फा /प्रे. 1904 दि. 30.03.17

## संशोधन आदेश

**विषय – मीटर एवं फ्लेट रेट श्रेणी के कृषि उपभोक्ताओं के भार की जाँच के सम्बन्ध में।**

पूर्व में मीटर श्रेणी के कृषि उपभोक्ताओं के भार की जाँच के संबंध में जारी आदेश क्रमांक जो.वि.वि.नि.लि./प्र.नि./मु.अ.(मु.)/अ.अ.(आर.ए.–सी.)/फा /प्रे.1710 दि. 20.02.2017 (वाणिज्य/जोधपुर डिस्कॉम–759) में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है:–

मीटर श्रेणी के कृषि उपभोक्ताओं के भार की जाँच की साधारणतया आवश्यकता नही है। कई उपभोक्ताओं के मीटर खराब होने पर फ्लैट रेट के अनुसार बिलिंग की जाती है। ऐसे मामलों में जहां कृषि श्रेणी उपभोक्ता (मीटर अथवा फ्लेट रेट) की बिलिंग फ्लेट रेट श्रेणी के अंतर्गत की जा रही है, यह निर्देशित किया जाता है कि उपभोक्ता के कनेक्शन के भार की जांच की जावें एवं उपभोक्ता को एक माह का नोटिस देकर उपभोक्ता द्वारा नोटिस का उत्तर मिलने के पश्चात् या 30 दिन बाद ही भार बढ़ाने की नियमानुसार कार्यवाही की जावें।

जिन मीटर एवं फ्लेट रेट श्रेणी के उपभोक्ताओं की जाँच किये बिना अथवा उपभोक्ता के आवेदन किये बिना ही बढे हुये भार की बिलिंग की जा रही है। ऐसे प्रकरण में पूर्व में स्वीकृत भार के अनुसार ही बिल जारी किये जावें। विवाद की स्थिति में समझौता समिति के माध्यम से प्रकरण का निस्तारण किया जावें।

**आज्ञा से**

30/3/17

**(एम. आर. मीणा)**
**अतिरिक्त मुख्य अभियंता (मुख्यालय)**
**जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर**